मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

चतुर्दश प्रतिवेदन

(जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) जल संसाधन	1
	(2) राजस्व	2
	(3) पशुपालन	3
	(4) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	4
	(5) नगरीय प्रशासन एवं विकास	6
	(6) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9
	(7) लोक निर्माण विभाग	10
	(8) सहकारिता	11
	(9) आवास एवं पर्यावरण	12
	(10) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	14
	(11) स्कूल शिक्षा	17
	(12) ऊर्जा	18
	(13) अनुसूचित जाति कल्याण	19
	(14) आदिम जाति कल्याण	20
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	21
	(ii) परिशिष्ट - 2 (अनिर्णीत प्रकरण)	22
	(iii) परिशिष्ट - 3 (जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र के पूर्व प्रतिवेदन में सम्मिलित आश्वासन)	23

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का चतुर्दश प्रतिवेदन(चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 118 आश्वासन, जिनमें से 93 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में परिशिष्ट - 3 की विवरण सूची के अनुसार किया गया है । इस प्रकार शेष 25 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस चतुर्दश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया ।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 13 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । ***समिति ने परीक्षण के दौरान यह पाया कि विभागीय जांच/आर्थिक अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचरण से संबंधित आश्वासनों पर कतिपय विभागों द्वारा या तो प्राथमिक जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराई गई एवं यदि उपलब्ध करा भी दी गई है तो समिति की ओर से बारम्बार पत्राचार किये जाने के बावजूद चाही गई अतिरिक्त/अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं । निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है ।*** संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया ।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाकः- 17 मार्च, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	जल संसाधन	02, 03
2.	राजस्व	06, 08, 09
3.	पशुपालन	18
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	32, 34, 118
5.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	37, 42, 43, 45, 46
6.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	53
7.	लोक निर्माण विभाग	58, 64
8.	सहकारिता	74
9.	आवास एवं पर्यावरण	80, 81
10.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	90
11.	स्कूल शिक्षा	99
12.	ऊर्जा	107
13.	अनुसूचित जाति कल्याण	115
14.	आदिम जाति कल्याण	116

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	02	ता.प्र.सं.06 (क्र.783) दि. 04.08.2003	जिला झाबुआ के अंतर्गत ग्राम उमरठ में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाना।	नाबार्ड से ऋण सहायता प्राप्त होने के उपरांत 02 माह में कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।	प्रश्नाधीन आश्वासन में शासन के पत्र क्र. 21/144/03/लघु/31, दिनांक 23.06.2006 से प्रेषित उत्तर में उमरठ तालाब परियोजना के असाध्य होने संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया था। उमरठ तालाब क्रं.-2 के नाम से नवीन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति आदिवासी क्षेत्र उपयोजना T.A.D.P मद अंतर्गत दिनांक 07.08.07 को प्रदान कर निर्माण कार्य माह 06/2010 में पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/144/लघु/31/03/1483, दिनांक 30.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	03	अता.प्र.सं.25 (क्र.861) दि. 04.08.2003	श्योपुर जिले में बारधा बांध सिंचाई नहर के प्रभावित ग्राम मदावली के कृषक मातादीन बैरागी एवं श्रीमती रामाबाई बैरागी को मुआवजे की राशि का भुगतान।	भू-अर्जन प्रकरण तैयार कर आवश्यक भू-अर्जन प्रक्रिया पूरी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा वितरित किया जायेगा।	श्योपुर जिले में बारधा बांध सिंचाई योजना के नहर निर्माण में ग्राम मदावली के 45 नं. कृषकों की 43 नं. सर्वे नंबर में कुल 4427 हेक्टर निजी भूमि का मुआवजा वितरण कलेक्टर श्योपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 16.07.2007 अनुसार किया जा चुका हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-27-50/2003/सा/31, दिनांक 07.02.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
3.	06	अता.प्र.सं.09 (क्र.83) दि. 28.07.2003	होशंगाबाद जिले में वर्ष 1999-2000 में 27.34 एकड़ अतिशेष जमीन का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही।	अंतिम आदेश होने पर तथा भूमि अतिशेष घोषित होने पर कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट-1 के अनुसार
4.	08	ता.प्र.सं.24 (क्र.1227) दि. 04.08.2003	कलेक्टर ग्वालियर के वर्तमान जीर्णशीर्ण भवन के बदले नवीन भवन निर्माण हेतु राशि आरक्षित की जाना।	शेष भवन निर्माण कार्य की प्रगति की अद्यतन जानकारी।	नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य 13500 वर्गमीटर में 3 ब्लाकों ए,बी एवं सी ब्लाक के रूप में किया जाना था। तीनों ब्लाकों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर वर्तमान में कार्यालय के उपयोग में लिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-63/2003/सात/नजूल, दिनांक 11.02.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	09	अता.प्र.सं.54 (क्र.1426) दि. 04.08.2003	तहसील खकनार, नेपानगर व बुरहानपुर के अंतर्गत नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों की पूर्ति।	यथाशीघ्र समय अवधि बताना संभव नहीं है।	दोनों संवर्ग को मिलाकर जिले में स्वीकृत पूर्ण पद भरे हुये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3744-7959/2007/सात-4ए, दिनांक 04.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
पशुपालन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
6.	18	अता.प्र.सं.34 (क्र.324) दि. 28.07.2003	गौसेवा आयोग द्वारा सरकार को भेजी गई सिफारिशों पर कार्यवाही।	गाय को राज्य पशु घोषित करने संबंधी प्रस्ताव आयोग के समक्ष विचाराधीन है।	गौसेवा आयोग द्वारा प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था एवं वर्तमान में गौसेवा आयोग अस्तित्व में नहीं हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-18-81/2003/पैंतीस, दिनांक 28.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
7.	32	परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.645) दि. 29.07.2003	प्रदेश के पंचायत कर्मियों के मांग पत्र पर कार्यवाही किये जाने बाबत्।	शासन स्तर पर अभी विचाराधीन है।	पंचायत कर्मियों की मांगों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके आदेश क्रमांक एफ 19-8/2005/1/4, दिनांक 20 जनवरी, 2005 द्वारा समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-134/2003/22/पं-1, दिनांक 22.07.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 12165/वि.स./आश्वा. / 2007, दिनांक 08.06.2007, तथा क्रमशः दिनांक 30.05.2008, 04.07.2009, 25.02.2010, 15.12.2010, 19.12.2011, 12.02.2012, 03.09.2012, 15.04.2013, 31.07.2013, 27.11.2013, 11.11.2014 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रदेश के पंचायतकर्मियों के मांग पत्र पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	34	अता.प्र.सं.40 (क्र.560) दि. 29.07.2003	कटनी जिले की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में नियम विरूद्ध नियुक्तियां करने के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर होने के गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	जांच प्रतिवेदन के अनुसार जनपद पंचायत में की गई भरती में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। रोस्टर का पालन न करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-132/2003/22/पं-1, दिनांक 27.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 10477/वि.स./आश्वा./2009 दि. 04.07.2009 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***कटनी जिले की जनपद पंचायत वि. राघवगढ़ में नियम विरूद्ध नियुक्तियां करने के लिये दोषियों के विरूद्ध जांच व कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
9.	118	अता.प्र.सं.60 (क्र.1721) दि. 05.08.2003	कटनी जिले की जनपद पंचायतों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र दिये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विकास आयुक्त ग्रामीण विकास को लिखा जा रहा है।	श्री राजीव खरे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ जिला कटनी को पत्र क्र. 2475/स.अ चार/2007, दिनांक 30.07.2007 द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गौण खनिज उत्खनन के लिये अस्थायी अनुज्ञा जारी करने के लिये, म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। श्री खरे द्वारा संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहने तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने का दोषी पाये जाने पर कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश क्र. 3781/स.अ.चार/07, दिनांक 20.11.07 द्वारा चरित्रावली चेतावनी की शास्ति से दंडित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **16829/वि.स./22/वि-2/15, दिनांक 28.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	37	ता.प्र.सं.06 (क्र.671) दि. 29.07.2003	हरदा नगर पालिका अंतर्गत स्वीकृति के निर्मित दुकानों की जांच कमिश्नर भोपाल द्वारा पूर्ण करायी जाकर कार्यवाही की जाना।	यदि सदस्य चाहते हैं कि किसी और अधिकारी से जांच कराई जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जांच के निष्कर्ष जब आएंगे तभी उस पर कार्यवाही की जा सकेगी।	कमिश्नर, भोपाल द्वारा जांच पूर्ण की जाकर पत्र दि. 08.07.03 के तहत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कमिश्नर, भोपाल ने प्रतिवेदन में नगर पालिका हरदा के अस्पताल भवन एवं भूमि राज्य शासन (स्वास्थ्य विभाग) का हस्तांतरित करने एवं अस्पताल की भूमि पर दुकानों के निर्माण की कार्यवाही को नियमानुकूल होने संबंधी उल्लेख करते हुये किसी को उत्तरदायी नहीं बताया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 709/4569/18-2/07, दिनांक 27.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
11.	42	अता.प्र.सं.04 (क्र.78) दि. 29.07.2003	होशंगाबाद जिले के नगर सुधार न्यास इटारसी के आवासों की रजिस्ट्री शीघ्र किया जाना।	बंधकमुक्त करने के बाद पट्टा विलेख निष्पादित किया जा सकेगा।	हुडको हाउस नई दिल्ली द्वारा आवासों को बंधन मुक्त किया गया है। उपपंजीयक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर ली गई है। आवासों की रजिस्ट्री जारी है। वर्तमान में कुल 545 भवनों की लीज डीड संपादित हो चुकी है हितग्राही मुदांक पेपर जमा कर रहे है। रजिस्ट्रियां जारी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2433/3159/10/18-2, दिनांक 28.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
12.	43	अता.प्र.सं.16 (क्र.217) दि. 29.07.2003	सागर जिला नगर निगम क्षेत्र में कच्चे शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित किया जाना।	सुलभ काम्पलेक्स निर्माण योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से नये सार्वजनिक शौचालय निर्माण कर यथाशीघ्र कच्चे शौचालयों को बंद कर दिया जायेगा।	नये सुलभ शौचालय निर्माण हेतु हुडको से प्राप्त राशि से सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण किया जा चुका है तथा कच्चे शौचालय बंद किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2555/3257/10/18-2, दिनांक 12.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	45	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.108) दि. 05.08.2003	होशंगाबाद जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	इस प्रकरण में जितनी जल्दी मुझ से कार्यवाही हो सकती है। कार्यवाही कर दोषियों का दण्ड दिलवाऊंगा।	नगर पालिका, पिपरिया में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संबंधी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त हुई। जिसकी जांच जिला सतर्कता समिति भोपाल एवं कलेक्टर होशंगाबाद से कराई गई। 2. श्री रामगोपाल शर्मा प्रभारी सीएमओ नगर पालिका पिपरिया से दिनांक 28.02.05 से सेवा निवृत्त हो चुके है। अत: इनके विरूद्ध जांच नहीं हो सकी एवं श्री सतीश कटकवार तत्का. अध्यक्ष नगर पालिका पिपरिया, को शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-135/02/18-1, दि.05.02.08 से 05 साल तक आगामी निर्वाचन में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया गया है। 3. श्री कमल नारायण सिंह चौहान, राजस्व उप निरीक्षक नगर पालिका पिपरिया में पदस्थ है एवं श्री नजीर खान तत्का. लिपिक का स्वर्गवास दिनांक 05.06.07 को हो गया है। विभागीय जांच में भी श्री चौहान को दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1963/4044/2012/18-1, दि.25.07.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	46	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.841) दि. 05.08.2003	नगर पंचायत राजपुर के नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा यात्री बस स्टैण्ड निर्माण में की गई अनियमितता की जांच।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी समय सीमा बताना संभव नहीं है।	श्री राजेन्द्र मालवीय, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पंचायत, राजपुर, जिला बड़वानी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है एवं अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जा चुकी है। वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कार्यरत नहीं है। अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1892/2259/10/18-3, दिनांक 08.07.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 16335/वि.स./आश्वा./ 11 दि.18.07.2011 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***नगर पंचाययत राजपुर के नगर पंचायत अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही श्री राजेन्द्र मालवीय तत्कालीन अध्यक्ष नगर पंचायत राजपुर को कारण बताओं सूचना पत्र देने के पश्चात की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा जांच में हुए विलंब के दोषियों पर कार्यवाही की टीप भेजें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	53	परि.अता.प्र.सं.70 (क्र.1782) दि. 05.08.2003	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जाना।	जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर स्थानांतरण किया जावेगा।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक एफ-1-120/2004/1/34, दि. 14 जुलाई, 2004 द्वारा श्री सी.के. रघुवंशी, सहायक यंत्री का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि से संधारण उपखंड, मण्डलेश्वर से मैके. उपखंड, रीवा किया गया था को संशोधित आदेश क्रमांक एफ-2-67/2004/1/34 दि. 21 अक्टूबर, 2004 द्वारा श्री सी.के.रघुवंशी, सहायक यंत्री (वि./यां.) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्वयं के व्यय पर लोक स्वा.यां. मैके. उपखंड, इंदौर में पदस्थ किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4754/2010/1/चौंतीस, दिनांक 02.01.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	58	अता.प्र.सं.40 (क्र.905) दि. 30.07.2003	सिवनी-बालाघाट-रजेगांव बी.ओ. टी. सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि।	18.11.02 को प्रारंभ कर दिया गया है। कार्य 9/2004 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।	कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। दिसम्बर 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7210/7179/07/यो/19, दिनांक 19.10.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।
17.	64	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.360) दि. 06.08.2003	जिला शिवपुरी में ग्राम बामौरा कला के अंतर्गत अवैधानिक संपत्ति तोड़ा जाना।	(1) यह मामला टेक्नीकल है और जांच अधिकारी से इसकी जांच जरूर करवायेंगे। (2) उच्च अधिकारी से पूर्ण जांच कराऊंगा । यदि उसमें से तमाम बातें सामने आयेंगी तो कार्यवाही भी करेंगे। (3) उन पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही करेंगे।	प्रकरण में जांच की कार्यवाही पूर्ण कर शासन आदेश क्र.एफ-17-44/2004/स्था-19 दिनांक 19.12.2008 द्वारा श्री आर.के. शर्मा, तत्का. कार्यपालन यंत्री (वर्तमान में सेवानिवृत्त) लोक निर्माण विभाग को आरोपों से दोषमुक्त करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है एवं शासन आदेश क्रमांक 17-44/2004/ स्था/ 19, दिनांक 22.08.2009 द्वारा श्री एन.के. बाथम, तत्का.प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री एस.बी. करोरिया उपयंत्री के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1311/7305/2012/स्था./19, दिनांक 07.04.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	74	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.824) दि. 30.07.2003	इंदौर जिले में होल्कर स्टेट गृह निर्माण समिति में संदिग्ध पदाधिकारियों को पद से हटाये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संबंधित प्रश्न में वर्णित होल्कर स्टेट कृषि कार्य सहकारी संस्था गृह निर्माण समिति की जांच कराई गई। जांच उपरांत दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये उनके नियोजक को पत्र लिखा गया एवं श्री बाबूलाल पिता भागीरथ को सदस्यता से पृथक करने हेतु धारा-19 सी अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-141/2003/पन्द्रह-1, दिनांक 15.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 19467/वि.स./आश्वा./2014 दि. 15.10.2014 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन के उपरांत दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	80	ता.प्र.सं.09 (क्र.421) दि. 30.07.2003	भोपाल शहर के शाहपुरा, गुलमोहर कालोनी, बसंतकुंज कालोनी तक जाने वाली सड़क का भू-अर्जन तथा सड़क बिजली के खम्बे, तार, नालियां, फुटपाथ बनाने के बाद रोक लगाई जाना एवं अतिक्रमण हटाया जाना।	(1) इसमें निर्णय ले लिया जावेगा और स्टे खत्म होते निर्माण कर देंगे। (2) अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि जल्दी से जल्दी भू-अर्जन और बटान की कार्यवाही करवायें और जैसे ही स्टे खत्म होगा हम निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवायेंगे। (3) दूसरा नोटिस पुन: दो साल के बाद जारी कर सकते हैं। (4) मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ जांच करा लूंगा।	(1) भू-अर्जन संबंधी कार्यवाही संभागीय कार्यालय-2 के क्रं. 3250 दिनांक 22.04.98 को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। (2) टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के पत्र क्रं. 919 दिनांक 10.09.98 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई एवं आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रं. 7518/रा-2, दि. 30.09.98 द्वारा आवश्यक भू-अर्जन धारा 17(1) अंतर्गत अनुमति दी गई। (3) मा. न्यायालय द्वारा 07.03.05 द्वारा स्थगन आदेश समाप्त किया गया। (4) गुलमोहर कालोनी को जाने वाली शाहपुरा बावड़िया कला मर्गा क्रं. 3.4 का डामरीकरण का कार्य स्टे हटने के उपरांत पूर्ण करा लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-9-97/2002/बत्तीस, दिनांक 27.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	81	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.61) दि. 30.07.2003	भोपाल स्थित राजधानी परियोजना द्वारा संचालित प्रकाश तरण पुष्कर के मैनेजर और पदस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उप सचिव की रिपोर्ट आ जायेगी और उसमें जो तथ्य आयेंगे उसके अनुसार हम वहां के मैनेजर के खिलाफ और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्यवाही करेंगे।	(1) दिनांक 17.07.02 को उप सचिव से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय आदेश दिनांक 16.08.02 द्वारा श्री पी.एन. श्रीवास्तव को निलंबित किया गया था, साथ ही प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री मो.अनवर जीवन रक्षक, श्रीमती निर्मला पवार, प्रशिक्षक, श्री आत्माराम कार्यभारित जीवन रक्षक एवं अन्य को निलंबित किया गया था। तदोपरांत इन कर्मचारियों की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। प्रबंधक एवं पदस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण मा.न्यायालय सीजेएम भोपाल में लंबित है। न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी। मैनेजर श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध मजिस्ट्रीरियल जांच के बिन्दुओं पर मा.न्यायालय सीजेएम भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 20.06.05 द्वारा श्री श्रीवास्तव मैनेजर एवं श्रीमती स्नेहलता राखे को प्रकरण से उन्मुक्त (बरी) किया गया एवं श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोप सिद्ध न होने से विभागीय ज्ञाप दिनांक 20.01.06 द्वारा श्री श्रीवास्तव को निलंबन अवधि का नियमन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-9-180/2002/बत्तीस, दिनांक 31.01.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	90	ता.प्र.सं.08 (क्र.667) दि. 31.07.2003	प्रदेश में शक्कर कारखानों की संख्या राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता एवं वित्तीय स्थिति एवं किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाना।	1. हम आगे भी करेंगे किसानों को बकाया निश्चित रूप से देंगे। 2. मैं कोशिश करूंगा केन्द्र से निवेदन करूंगा। 3. निश्चित रूप से डबरा के किसानों को पेमेंट के लिये मण्डी निधि से दिलवाउंगा और कैलारस के किसानों को भी वह जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा कर देंगे। 4. हम जल्दी से जल्दी इस धनराशि को दिलाने की कोशिश करेंगे। 5. बोर्ड से लेने के लिये मैं मण्डी बोर्ड प्रस्ताव भेजूंगा और कोशिश करूंगा कि स्वीकृत लेकर डबरा के किसानों का भुगतान कलेक्टर के माध्यम से करवा पाऊँ। 6. वे लिक्विडेशन में चले गये हैं। जितनी जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे। 7. अगर उनको दिक्कत आयेगी सहकारी समिति को तो हम निश्चित रूप से डबरा की तरह उनकी मदद करेंगे।	दी ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा जिला ग्वालियर पर वर्ष 2001-02 में राशि रू. 0.35 लाख वर्ष 2002-03 में राशि रू. 0.88 लाख एवं वर्ष 2003-04 में राशि रू. 1.58 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान शेष है। वर्ष 2003-04 में उक्त फैक्ट्री पर गन्ना मूल्य निर्धारण के पश्चात अन्तर की राशि रू. 72.98 लाख की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा आर.आर.सी जारी की गई है। अंतर की राशि की वसूली माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण लंबित है। वर्तमान में दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा बंद है, एवं फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वसूली की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को निर्देश दिये जा चुके हैं। मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कैलारस जिला मुरैना का प्रश्नांश अवधि (2003-04) तक केवल राशि रू. 0.29 लाख गन्ना मूल्य भुगतान शेष है। जो कृषकों द्वारा भुगतान न लेने आने के कारण लंबित है। वर्तमान में दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना ने अवगत कराया है कि विगत 5 वर्षों से फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हुआ है व कारखाना बंद है। वर्ष 1995 से बी.एस.आई. शुगर मिल जिला सीहोर पर कृषकों का गन्ना मूल्य राशि रू. 60439581.91/- का भुगतान शेष होने के कारण वर्ष 1996-97 में आर.आर.सी. जारी की गई उपरोक्त आर.आर.सी. के विरूद्ध फैक्ट्री द्वारा	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					म.प्र. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 3641/96 दायर किया गया था व वसूली का स्टे आर्डर लिया गया था। उपरोक्त स्थगन आदेश वर्तमान में खारिज हो गया है, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 1999-2000 में राशि रू. 3.68 करोड़ की वसूली हेतु वर्ष 2000-2001 में आर.आर.सी. जारी की गई व शुगर फैक्ट्री द्वारा वसूली के विरूद्ध म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 4387/2000 दायर कर स्टे आर्डर लिये गये थे, जो खारिज हो गये है। वसूली हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2000-01 में बकाया गन्ना मूल्य की राशि रू. 34.53 लाख की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पर स्टे आर्डर प्राप्त किया था, वर्तमान में स्टे आर्डर खारिज हो गया है, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर सीहोर के द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में बी.एस.आई. शुगर मिल सीहोर का प्रकरण माननीय औद्योगिक न्यायालय नई दिल्ली, बी.एफ.आई.आर. में विचाराधीन है। अत: जारी आर.आर.सी. के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण लंबित है। दी ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राशि रू. 50.00 लाख मण्डी बोर्ड के किसान राहत कोष से दिलाये गये थे, जो 2074 कृषकों को कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये। मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना का वर्ष 2002-03 में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु मण्डी बोर्ड से राशि रू. 1.00 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त हुई थी। जिसके उपयोग व स्वअर्जित आय से इस वर्ष की देय गन्ना मूल्य की राशि का भुगतान कैलारस के किसानों को साथ-साथ अन्य क्षेत्र किसानों को भी किया गया।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					मण्डी बोर्ड से राशि उपलब्ध कराई गई व कृषकों को कलेक्टर के माध्यम से वितरित की गई। भोपाल शुगर मिल जिला सीहोर के द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान हेतु माननीय न्यायालय से लिये गये स्टे आर्डर खारिज हो गये है, वसूली कलेक्टर जिला सीहोर के द्वारा की जाना है। कलेक्टर सीहोर के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में बी.एस.आई. शुगर मिल सीहोर का प्रकरण माननीय औद्योगिक न्यायालय नई दिल्ली (बी.एफ.आई.आर.) में भी विचाराधीन होने के कारण जारी आर.आर.सी. के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही लंबित है। सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को मण्डी बोर्ड से राशि रू. 1.00 करोड़ की सहायता ऋण के रूप में दी गई थी, जिसका भुगतान कृषकों को दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – डी-10-118/03/14-3, दिनांक 06.02.2015**	

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	99	ता.प्र.सं.11 (क्र.399) दि. 01.08.2003	सतना जिले के नागोद एवं सिंहावल जनपद पंचायतों में संविदा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	संविदा शिक्षक यदि सहायक शिक्षक बन गए और जो जगह आप बता रहे है अगर उनके पद रिक्त पड़े हैं तो वहां हम पूर्ति करा देंगे।	संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पद स्वीकृत कर जिलों को आवंटित कर दिये गये हैं। म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 एवं संशोधन नियम 2008 में प्रावधानित नियमों के अंतर्गत पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग के अधीन जिलों में स्थानीय निकायों के द्वारा संविदा शाला शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-198/2003/बीस-2, दिनांक 16.10.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
23.	107	ता.प्र.सं.03 (क्र.1908) दि. 08.08.2003	वारासिवनी संभाग के अंतर्गत रामपायली विद्युत केन्द्र की स्थापना किया जाना।	नाबार्ड में स्वीकृति उपरांत राशि का आवंटन होने पर कार्य प्रारंभ किया जाना संभव होगा।	बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु जे.बी.आई.सी. योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत वित्तीय ऋण के अंतर्गत निविदायें आमंत्रित कर मेसर्स टेक्रिकल एसोसियेट्स लिमिटेड फैजाबाद रोड, इस्माइलगंज, लखनऊ को दिनांक 15.05.07 को कान्ट्रेक्ट अवार्ड प्रदान कर दिनांक 07.08.07 को अनुबंध निष्पादन कर दिया गया है। जारी अवार्ड अनुसार उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 12 माह के अंदर पूर्ण किया जाना है। कार्य प्रगति पर है एवं कार्य अगस्त 2008 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4011/एफ-11/422/03/13, दिनांक 09.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	115	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.428) दि. 05.08.2003	प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में बागरी जाति के नाम से अनुसूचित जाति के नाम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रकरणों की जांच।	1. जी हां अनु.जाति के संबंध में आदरणीय मुंशीलाल जी ने जो कहा है उनमें नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। 2. जब प्रकरण का निर्णय हो जावेगा तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। 3. प्रतिवेदन दिया है उसके बाद में भी अगर लगता है तो हम पुन: विचार करेंगे। 4. उपाध्यक्ष महोदय इस संबंध में संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाएगा कि जो घोषित हैं उनके ऊपर कार्यवाही न की जावे लेकिन जो घोषित नहीं हैं अघोषित रूप से उन्होने फर्जी प्रमाण पत्र लिए है उनके ऊपर कार्यवाही की जावेगी।	115 ध्यानाकर्षण सूचना एवं आश्वासन में संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र धारियों के नाम एवं पता नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। राज्य स्तरीय अनु.जा. छानबीन समिति की बैठक दिनांक 23.09.2009 को लगभग 25 प्रकरणों पर निर्णय पारित किया है। बागरी जाति के सिवनी जिले में निवासरत बागरी जो राजपूत एवं ठाकुर उप जातियों को अनु.जाति की पात्रता नहीं आती उन पर समिति ने निर्णय पारित कर कलेक्टर सिवनी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रेषित किये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-3/2012/25-4, दिनांक 01.05.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	116	ता.प्र.सं.04 (क्र.1014) दि. 31.07.2003	सागर जिले के ग्राम रतनारी की आदिवासी महिला मृतक स्व. श्रीमती ललिता बाई के परिजनों को राहत राशि स्वीकृत की जाना।	1. यदि नहीं दी है तो तत्काल 10 हजार की राशि उपलब्ध करायेंगे। 2. मैं दिखवा लूंगी जो अनुशंसित प्रकरण हैं राशि उनसे मिल गई है या नहीं, यदि नहीं मिली है तो इनको तुरंत रिलीज करवा देंगे।	मृतका श्रीमती ललिता बाई पत्नी भैयालाल बेड़िया का प्रकरण क्रमांक 19ए/03 दिनांक 16.06.03 अपराध क्रमांक 2/03 दि. 14.01.03, चालान क्रमांक 23/03 दि. 06.02.03 के अनुसार धारा 450, 306, 294, 3(2) (5) हत्या के प्रयास के प्रकरण में मृतका ललिता बाई के आश्रित दो पुत्रों को रूपये 50,000/- की राशि स्वीकृत एवं टी.डी.आर. तैयार कराई गई । दि. 11.08.03 को आवेदकों की मांग अनुसार 25,000/- की टी.डी.आर तोड़ी जाकर तत्कालीन जिला संयोजक द्वारा स्थल पर जाकर भुगतान की गई एवं न्यायालय के फैसला दिनांक 01.03.05 के अनुसार आरोपी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा से दोषमुक्त होने की स्थिति में दिनांक 10.08.05 को बैंक से दोषमुक्त में जमा टी.डी.आर. की राशि का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1429/2011/2/25, दिनांक 28.11.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

<u>विशेष टिप्पणी/अनुशंसा</u>

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 14 विभागों के 25 आश्वासन सम्मिलित हैं। समिति द्वारा किये गये परीक्षणों से यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 12 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 03 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 04 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 01 मामले में विभाग द्वारा प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं। जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी। मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है। फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है। समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है। इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते। इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	32
आश्वासन क्रमांक	34

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	46

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	74

:: परिशिष्ट - 3 ::

जुलाई-अगस्त 2003, सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	जल संसाधन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	04	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	05	राजस्व	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	07	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	10	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	11	परिवहन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	12	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	13	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	14	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	15	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	16	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	17	पशुपालन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	19	वन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	20	मछली	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	22	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	23	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	24	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	25	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	26	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	27	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	28	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	29	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	30	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	31	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	33	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	35	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	36	नगरीय प्रशासन एवं विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	38	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	39	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	40	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	41	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	44	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	47	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	48	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	49	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	50	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	51	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	52	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	54	संस्कृति	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	55	समाज कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	56	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	57	पर्यटन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	59	लोक निर्माण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	60	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	61	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	62	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	63	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

49.	65	लोक निर्माण	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	66	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	67	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	68	गृह	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	69	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	70	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	71	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	72	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	73	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	75	सहकारिता	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	76	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	77	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	78	सामान्य प्रशासन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	79	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	82	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	83	लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	84	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	85	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	86	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	87	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	88	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	89	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	91	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	92	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	93	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	94	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	95	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	96	स्कूल शिक्षा	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	97	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	98	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	100	उच्च शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	101	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	102	"	प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	103	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	104	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	105	ऊर्जा	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	106	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	108	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	109	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	110	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	111	वाणिज्यिक कर	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	112	आदिम जाति कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	113	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	114	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	117	अनुसूचित जाति कल्याण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा